न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0 प्र0 केम्प भोपाल

प्रकरण कं0 :— निगरानी-0201/2019/हरदा/भू.रा.

प्र0 दि :— 30-1-19

पुनरीक्षणकर्ता:— प्रतीक आ0 उमाशंकर काशिव जाति ब्राम्हण
निवासी ग्राम सामरधा तह0 टिमरनी जिला हरदा म0 प्र0

विरूद्ध

उत्तरदातागण :—

श्री संदीप शुक्ला अभि. द्वारा आज दि: 30-1-19 को कैम्प भोपाल में प्रस्तुत 30-1-19

1. जयशंकर आ0 मदनलाल तथा कथित दत्तक एवं नामिनी पुत्र स्वी जुगलकिशोर काशिव जाति ब्राम्हण

2. मनोज कुमार आ0 स्व0 मोहनलाल काशिव जाति ब्राम्हण
दोनों निवासी घमापुर बाई का बगीचा मकान नं. 508 गली नं. 4 जबलपुर तह0 एवं जिला जबलपुर म0 प्र0

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959

पुनरीक्षणकर्ता अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदापूरम संभाग होशंगाबाद के अपील प्रकरण कं. 381 वर्ष 2017—18 ग्राम सामरधा तह0 टिमरनी जिला हरदा में पारित आदेश दिनॉक 31/12/2018 से दुखी एवं असंतुष्ट होकर निम्न एवं अन्य आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता है।

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि उत्तरदातागणों के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदापूरम संभाग होशंगाबाद के न्यायालय मे एक अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय टिमरनी के अपील प्रकरण कं0 29 अ 6 वर्ष 2016—17 ग्राम सामरधा मे विधि युक्त पारित आदेश दिनॉक 23/03/2018 के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता को परेशान करने के उददेश्य से प्रस्तुत की थी जिसे माननीय अधिनस्थ अपर आयुक्त महोदय नर्मदापूरम संभाग होशंगाबाद के न्यायालय द्वारा प्रकरण की सही रूप से जॉच किये बगैर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी 0201/2019/हरदा/भू0रा0

प्रतीक विरूद्ध जयशंकर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–02–2019	आवेदक अभिभाषक श्री संदीप रावल उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 29/अ–6/2016–17 में पारित अंतिम दिनांक 31–12–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 30–01–2019 को प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को निगरानी प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर0के0 जैन) 27/2/2019 सदस्य	